INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP32050210481234V

₹100

Certificate No.	:	IN-UP32050210481234V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 05:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14162904/ TARABGANJ/ UP-GND
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14162904886748282033344V
Purchased by	:	SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
Second Party	:	RAJEEV KUMAR TIWARI
Stamp Duty Paid By	:	SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY, TARABGANJ GONDA U.P.

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

शपथ–पत्र

(प्रारूप–''अ'')

हम रूद्र प्रसाद तिवारी एवं राजीव कुमार तिवारी कमशः अध्यक्ष एवं सचिव जनकलली तिवारी शिक्षण संस्थान ग्राम परसापुर पोस्ट नवाबगंज जनपद गोण्डा (उत्तर प्रदेश) शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं:–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रूद्र कालेज ऑफ फार्मेसी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

सचिव
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम परसापुर पोस्ट नवाबगंज जनपद गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में गाटा संख्या 1281ख, 1281मि, 1282 एवं 1284 रकबा कमशः 0.1500 हेक्टेयर, 0.4710 हेक्टेयर, 0.1960 हेक्टेयर एवं 0.3237 हेक्टेयर **(कुल रकबा 1.1407 हेक्टेयर)** भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि गाटा संख्या 1281ख,1281मि, 1282 एवं 1284 रकबा कमशः 0.1500 हेक्टेयर, 0.4710 हेक्टेयर, 0.1960 हेक्टेयर एवं 0.3237 हेक्टेयर **(कुल रकबा 1.1407 हेक्टेयर)** पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धरित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY
GOVT. OF INDIA

अध्यक्ष
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

सचिव
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

8. यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित /सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसजित्त किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व में कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यह मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थनीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यावाही नही की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरे निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटि पूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यावही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 अध्यक्ष

अध्यक्ष
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ0प्र0)

ह0 सचिव

सचिव
जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ0प्र0)

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
ON 30-08-2023

Krishna Narayan Pandey
ADV & NOTARY Tarabganj Gonda (U.P.)

AK Pandey Adv
30-08-2023

NOTARY
GOVT. OF INDIA